निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39 / 2024
दायरा दिनांकः–13.06.2024
निर्णय दिनांकः– 19-5-25

उनवान

1. मानसिंह आयु 85 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मुडियाखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. अनरथसिंह पुत्र ईश्वरलाल मृत
2. गीता बाई आयु 60 वर्ष पत्नि अनरथसिंह जाति अहीर निवासी मुडियाखेडा
3. शिवचरण आयु 37 वर्ष पुत्र अनरथसिंह जाति अहीर निवासी मुडियाखेडा
4. शिवराज आयु 32 पुत्र अनरथसिंह जाति अहीर निवासी मुडियाखेडा
5. रिकेंश आयु 30 वर्ष पुत्र हरिचरण जाति अहीर निवासी ग्राम मुडियाखेडा
6. महेन्द्र आयु 25 वर्ष पुत्र हरिचरण जाति अहीर निवासी ग्राम मुडियाखेडा
7. हल्का पटवारी ग्राम पंचायत फलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. हरिचरण आयु 50 वर्ष पुत्र अनरथसिंह जाति अहीर निवासी मुडियाखेडा
10. शारदा आयु 31 वर्ष पुत्री अनरथसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मुडियाखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 19-5-25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भॅवर सिंह जादौन – प्रार्थी
2. श्री मोहित शर्मा – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के तनहा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 46 खसरा नम्बर 120/1 रकबा 1.5302 है0 खसरा नम्बर 159 की रकबा 1.4038 हैक्टयर कुल किता 2 की रकबा 2.9340 हैक्टयर भूमि वाके माल मुडियाखेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान में स्थित है। जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि खाता संख्या 46 खसरा संख्या 120/1 की रकबा 1.5302 हैक्टयर, खसरा संख्या 159 की रकबा 1.4038 हैक्टयर कुल किता 2 की रकबा 2.9340 हैक्टयर भूमि वाके माल मुडियाखेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान आज तक बिना किसी बांधा व व्यवधान के भूमि पर काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

परन्तु वर्तमान में प्रार्थी की भूमि का अधिक उपजाऊपन देखकर अप्रार्थीगण के मन बदयान्ति आ गई है तथा वह जबरन लठ् के बल पर अवैधानिक तथा गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या 120/1 की रकबा 1.5302 हैक्टयर, पूर्व दिशा भूमि पर से उसे बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है जिसका कि उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। 4. प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा संख्या 120/1 की रकबा 1.5302 हैक्टयर, पूर्व दिशा पर काबिज है जिस पर वह शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण अवैध रूप से बांधा व व्यवधान उत्पन्न कर उसे शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे है और जबरन बल पूर्वक प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को छुड़ाना चाहते है इसलिए प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण को पाबंद करने का वैधानिक अधिकारी है जो अत्यंत आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती करण का कारण दिनांक 05/06/2024 को उत्पन्न हुआ जबकि अप्रार्थी कम 1 ता 6 ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित खसरा संख्या 120/1 की रकबा 1.5302 हैक्टयर, पूर्व दिशा प्रार्थी भूमि की मेडे तोड़कर अपने हिस्से की भूमि में मिला ली है तथा प्रार्थी के मना करने पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार छबडा को प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका आदेश क्रमांक भू.अभि 160 दिनांक 11.06.2024 की पालना में दिनांक 14.06.2024 को राजस्व टीम गठित कर हल्का पटवारी पुलिस जाप्ता थाना बापचा के साथ ग्राम मुडियाखेडा में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 130,131,206/131, 207/137 रकबा 2.2511 है0 का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंचे और उक्त खसरों का सीमाज्ञान किया जिसमें सीमाज्ञान के दौरान अप्रार्थीगण की आाजी 01 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जे में निकली। प्रार्थी व अप्रार्थीगण भी पैमाईश के समय मौजूद थें। साथ ही ग्राम वासियान भी मौजूद रहे। उकत वर्णित खसरों की जो पैमाईश की जिस पर अप्रार्थीगण व उपस्थित ग्राम वासियों के हस्ताक्षर करवाकर रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश रिपोर्ट से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के खिलाफ एक झुठा दावा बनावटी तथ्यों के आधार पर अपार्थीगण के विरूद्ध पेश कर दिया यदि प्रार्थी उक्त पैमाईश रिपोर्ट से असतुष्ट है तो दुबारा राजस्व टीम गठित कर पैमाईश करवाई जावे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मुडियाखेडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 46 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मुडियाखेडा पेश किया गया। अप्रार्थीगण ने अपनें पक्ष के समर्थन में फोटो प्रति पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 नकल जमाबन्दी ग्राम मुडियाखेडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 15 नकल जमाबन्दी ग्राम मुडियाखेडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 51 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मुडियाखेडा तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी ...तनहा खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी का बिना किसी बाधा के कब्जा ...ला आ रहा हे प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहतें है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 120/1 रकबा 1.5302 है0 भूमि के पूर्व दिशा की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में स्थगन माननीय न्यायालय द्वारा दिया हुआ है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी की भूमि पर प्रार्थी द्वारा लगभग 1 बीघा पर कब्जा कर रखा हे अप्रार्थीगण ने अपने खाते की आराजी की पैमाईश मय पुलिस जाप्ता करवाई गई पैमाईश के दौरान प्रार्थी की भूमि में 1 बीघा भूमि अप्रार्थी के कब्जे में निकली प्रार्थी पैमाईश के दौरान मौके पर था। परन्तु पैमाईश पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रार्थी द्वारा पैमाईश से असन्तुष्ट होकर अप्रार्थी के विरूद्ध दावा पेश कर दिया गया है यदि प्रार्थी उक्त पैमाईश से सन्तुष्ट नही है तो दुबारा पैमाईश करवा ले प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हे प्रार्थी पैमाईश कराने के लिए इसलिए राजी नही है क्योकि प्रार्थी का अप्रार्थीगण की 01 बीघा भूमि पर कब्जा है प्रार्थी उक्त भूमि को छोडना नही चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मुडियाखेडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 46 के अनुसार खसरा नम्बर 120/1 रकबा 1.5302 है0 एवं खसरा नम्बर 159 रकबा 1.4038 है0 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 120/1 रकबा 1.5302 है की पूर्वी दिशा पर काबिज होना बताया गया है। वादी एवं प्रतिवादी मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 में अपने–अपने साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश कर अपना हिस्सा एवं अनुतोष प्राप्त कर सकतें है। मूल वाद के निस्तारण तक वाद बहुलता को रोकने एवं विवाद की स्थिति से निपटने के लिए उभयपक्षों को मौके की यथास्थिति बनायें रखनें हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षो को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मुडियाखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 120/1 रकबा 1.5302 है0 में मौके की यथास्थिति बनाये रखनें हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)